


कार्यवाही विवरण

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 101वीं बैठक दिनांक 16.09.2010 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | विवरण | निर्णय | अनुपालना |
|----------|----------------|---|--|----------|
| 1. | 101.1 | बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 100 वीं बैठक दिनांक 26.08.2010 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा। | बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 100 वीं बैठक दिनांक 26.08.2010 को सम्पन्न हुई, की क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया। | |
| 2. | 101.2 | रामकृष्ण मिशन परिसर, गौतम मार्ग, सी-स्कीम, में श्री रामकृष्ण मिशन यूनिवर्सल मंदिर के संबंध में। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधि श्री मंहत व वास्तुविद श्री पुष्पक पंडित को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि श्री रामकृष्ण मिशन यूनिवर्सल मंदिर को पूर्व में अनुमोदित मानचित्र अनुसार निर्माण किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जावे क्योंकि उनके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। | |
| 3. | 101.3 | भूखण्ड संख्या: 3-ए, गुप हाउसिंग व व्यावसायिक योजना बाईपास रोड़, जवाहर सर्किल के पास के संस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक श्री शमीन शर्मा व वास्तुविद अनुप भरतरिया को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- | |



| | | | | |
|----|-------|---|--|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. द्वितीय बेसमेंट (लोअर) में सिर्फ भवन हेतु आवश्यक सर्विसेज को पार्किंग के अलावा अनुज्ञेय किया जावे। इस तल पर किसी भी प्रकार का रहवास उपर ग अनुज्ञेय नहीं होगा। 2. प्रस्तावित सर्विस एरिया अनुज्ञेय सर्विस एरिया (एफएआर 2.0 की सीमा तक) 7 प्रतिशत से 287 वर्ग मीटर अधिक प्रस्तावित किया गया है। वास्तुविद द्वारा अतगत करवाया गया कि इस क्षेत्र को एफ.ए.आर. क्षेत्र शामिल कर लिया जावे। उनके द्वारा एफ.ए.आर. अधिकतम 2.0 रखते हुए संशोधन कर दिया जावेगा। 3. उत्तरी दिशा में भूतल से टैरेस फ्लोर तक एक पोर्च 97.55 वर्ग मीटर क्षेत्र का प्रस्तावित किया गया है एवं पश्चिमी ओर भूतल पर एक आर्किटेक्चरल फीचर (क्षेत्रफल 121.98 वर्ग मीटर) सैटपेक क्षेत्र में भूतल से टैरेस फ्लोर तक प्रस्तावित किया गया है जिसको 37.46 मीटर ऊँचाई रखते हुए प्रस्तावित किया है वास्तुविद द्वारा उत्तरी दिशा व पश्चिमी दिशा के पोर्च व आर्किटेक्चरल फीचर का व्यू समिति के समक्ष दर्शित किया गया। समिति द्वारा इन्हें आर्किटेक्चरल फीचर मानते हुये अनुज्ञेय किया गया। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p> | |
| 4. | 101.4 | दिशा सेन्टर फॉर स्पेशल एज्युकेशन के संस्थागत भवन, निर्माण नगर सी के संशोधित व प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधि श्रीमती रेनु सिंह को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भवन विनियमानुसार मानक एफएआर से अतिरिक्त एफएआर हेतु आवासीय आरक्षित दर की | |

| | | | |
|----|-------|--|---|
| | | | 25 प्रतिशत दर पर बेटरमेंट लेवी ली जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे। |
| 5. | 101.5 | भूखण्ड संख्या 36 निर्माण नगर ए.बी. अजमेर रोड़ जयपुर के आवासीय मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट प्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे। |
| 6. | 101.6 | वैशाली नगर योजना में आम्रपाली सर्किल पर ब्लॉक सी मे सांस्थानिक भूखण्ड दैनिक नवज्योति के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर निर्मित भवन में आच्छादित क्षेत्रफल व एफ.ए.आर. भवन विनियम 2000 से अधिक है जिसके कारण प्रस्तुत प्रस्ताव विचारणीय योग्य नहीं है। आवेदक को सूचित किया जावे कि वर्तमान में भवन विनियम 2010 लागू है जिसमें आच्छादित क्षेत्रफल व एफ.ए.आर. बेटरमेंट लेवी लिये जाकर अनुज्ञेय किया जा सकता है। वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार यदि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते है तो जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। |
| 7. | 101.7 | भूखण्ड संख्या जी.एच.-1, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेंट के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के श्री बालकृष्ण सोढानी व वारजुदिद अशोक मिश्रा को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदक के भवन मानचित्र पूर्व में तत्समय लागू भवनविनियम 2000 के अनुसार दिनांक 09.02. |

| | | | |
|---|--------|--|--|
| | | | <p>2010 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। वर्तमान संशोधित प्रस्ताव में समस्त पैरामीटर्स सैटबैक, आच्छादन, एफएआर व ऊँचाई लगभग पूर्व में अनुमोदन अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है अतः संशोधित प्रस्ताव को अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।</p> <p>3. संशोधित भवन मानचित्रों के क्रम में प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p> |
| 8. | 101.8 | भवन मानचित्र प्रकोष्ठ में लंबित प्रकरणों के संबंध में। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र प्रकोष्ठ में लंबित 8 प्रकरणों में आवेदक को कमियों बाबत सूचित किया जा चुका है व स्मरण पत्र भी जारी किये गये हैं। अतः इन 8 प्रकरणों को निरस्त करते हुए दफ्तर दाखिल किया जावे।</p> |
| आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। | | | |
| 9. | 101.9 | भूखण्ड संख्या डी-70, रेजीडेन्सी रोड, सी-स्कीम, जयपुर के प्रस्तावित रेजीडेन्सी अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।</p> |
| 10. | 101.10 | एस्कॉर्ट हार्ट हॉस्पिटल एवं रिसर्च इन्सटीट्यूट, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर के | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधि श्री राजीव शर्मा व प्रतीम तम्बोली को सुना जाकर</p> |


| | | | |
|----|--------|---|--|
| | | निर्मित भवन में आंशिक प्रथम तल व आंशिक द्वितीय तल के अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ आंशिक प्रथम तल व द्वितीय तल अधिवास प्रमाण पत्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदक से नियमानुसार आंशिक प्रथम तल व द्वितीय तल की निर्धारित राशि ली जावे। 2. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र तिया जावे। उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावे। |
| 1. | 101.11 | भूखण्ड संख्या-एस-3, फतेह सिंह की धर्मशाला कालवाड़ योजना के निर्मित व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदक के भवन मानचित्र भवन विनियम 2000 के अनुसार अनुमोदित किये गये थे एवं संशोधित मानचित्रों की गणना भी भवन विनियम 2000 के अनुसार ही की गई है, जिसे अनुज्ञेय किया गया। 2. संशोधित मानचित्र में सामने की ओर औसतन 30 मीटर प्रोजेक्शन व प्रथम तल से चतुर्थ तल तक void दर्शित है जिसे चारों तरफ से बन्द किया हुआ है अतः भविष्य में इस क्षेत्र का कोई उपयोग नहीं किया जावेगा इस बाबत अपडरटेकिंग ले ली जावे। 3. पार्श्व-1 व पीछे के सैटबैक में इलेक्ट्रिकल यूनिट लगभग 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है जबकि ट्रान्सफार्मर व जनरेटर रूम हेतु 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की छूट का प्रावधान है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रावधानानुसार प्रस्तावित क्षेत्र आवश्यक है अतः अनुज्ञेय किया जावे। 4. बेसमेंट-1, II व अन्य तलों में प्लान्ट रूम, |

| | | | |
|-----|--------|--|--|
| | | | <p>इलेक्ट्रिक पैनल रूम, फ्लामिंग रूम, वाटर सॉपिंग, फायर पम्प रूम व आर.ओ. प्लांट इत्यादि 220.0 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किये गये। जो भवन की अपेक्षित सर्विसेज हेतु आवश्यक है अतः अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>5. संशोधित मानचित्रों में भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती के पश्चात् जारी किये जावे।</p> |
| 12. | 101.12 | <p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 42-43, पृथ्वीराज नगर, दुर्गापुरा, जयपुर के पेट्रोल पम्प के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के श्री रमेश पंवार को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक द्वारा अवगत करवाया गया कि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन से करार 70'x80' के क्षेत्र का ही हुआ है एवं विस्फोटक विभाग द्वारा भी इस क्षेत्र पर मानचित्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है चूंकि प्रस्ताव कम क्षेत्रफल पर दिया गया है अतः अनुज्ञेय किया जावे। 2. सड़क सीमा में फ्यूल पम्प की दूरी 7.0 मीटर इण्डियन रोड कांग्रेस के निर्धारित मानदण्ड अनुसार है जबकि मौके पर 6.0 मीटर उपलब्ध है। एक्सप्लोसिव विभाग द्वारा सड़क सीमा फ्यूल पम्प से 6.0 मीटर की दूरी रखते हुए मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं, अतः एक्सप्लोसिव विभाग की अनापत्ति को दृष्टिगत रखते हुये अनुज्ञेय किया जावे। 3. मौके पर पीछे की ओर निर्मित कमरा व अस्थाई |

| | | | |
|-----|--------|---|--|
| | | | <p>ऑफिस हेतु प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले ली जावे कि उक्त निर्माण को हटा लेगा।</p> <p>4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी जयपुर नगर निगम, जिला कलेक्टर व एक्सप्लोसिव विभाग की अनापत्तियों की पालना की जानी होगी।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् जारी किये जावें।</p> |
| 13. | 101.13 | <p>खसरा नम्बर 156, 159, 160 एवं 161 ग्राम रामनगरिया जयपुर में प्रस्तावित एकेडमिक ब्लॉक में तृतीय तल के भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।</p> | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित तृतीय तल के मानचित्र अनुमोदित किये जावें।</p> |
| 14. | 101.14 | <p>भूखण्ड संख्या एस-19, सेंट्रल स्पाईन जगतपुरा में ग्रुप हाउसिंग (फ्लैट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:--</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्ट्रिक्ट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2010 में उनके प्रकरण में समग्र प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाकर 15.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी किये जाने, एवं अग्नि |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर शेष ऊँचाई के मानचित्र जारी किये जाने का निवेदन किया है। जिसे समिति द्वारा स्वीकार्य किया गया।</p> <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति पश्चात् समग्र प्रस्ताव के मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


21/9/10
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 131वीं बैठक दिनांक 16.09.2010 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री सुधांशु पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती गायत्री ए. राठौड़, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :-

5. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राजेन्द्र विजय उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री एस.मित्रा उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री बाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती नर्मदा इन्दोरिया, विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक (बीपीसी-बीपी) जविप्रा, जयपुर

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2010/डी-1595

दिनांक : 21/9/10

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।